विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त हो गई, किन्तु कारावास की सजा के कारण अयोग्य होने से सीट रिक्त होने का आदेश सही प्रतीत नहीं होता

राजस्थान विधानसभा के अन्ता (बांरा) जिले से विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता, विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने दिनांक 1.5.2025 से समाप्त कर दी है और अन्ता विधान सभा सीट रिक्त घोषित की है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा विधायक को दोष सिद्धि की तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरूद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि मीणा ने 3 फरवरी 2005 को मनोहर थाना (जिला झालावाड़) क्षेत्र में उपचुनाव के समय एसडीएम राम निवास मेहता को पिस्तौल दिखाकर वोटों की पुनः मतगणना कराने के लिये धमकी दी थी और लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 171(ई) का अपराध किया था। इस केस में लोअर कोर्ट ने (ट्रायल कोर्ट ने) सन 2018 में बरी कर दिया था; किन्तु अपील अदालत (एडीजे) ने 2020 में उनकी अपील खारिज की और उन्हें तीन वर्ष की सजा दी। कंवर मीणा को जो अपराध उन पर लगाया था उस पर दोष सिद्धि माना। कंवर लाल मीणा ने एडीजे के कन्वीक्शन के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में शरण ली। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उच्च न्यायालय के विरूद्ध उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील प्रस्तुत की है, वह भी खारिज हो चुकी है। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर की है जिस पर 15 जुलाई 2025 को सुनवाई होनी है। यहां यह लिखना भी समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की वह प्रार्थना कि उनकी सजा 2 साल कर दी जावे वह भी दिनांक 1 मई 2025 को अस्वीकार कर दी है।

अपील आदि के दौरान कोर्टस सजा स्थगित की थी; किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 मई, 2025 को कंवर लाल मीणा की याचिका खारिज कर दी। इससे यह अर्थ निकाला गया है कि सजा दिनांक 1 मई, 2025 से प्रभावशाली हो गई। किन्तु विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त नहीं की, इस पर अध्यक्ष विधानसभा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे किसी भी व्यक्ति के दवाब में काम नहीं करते वे प्रत्येक केस में उसके सभी पहलू पर गहन अध्ययन करते हैं और विधि सम्मत और न्याय सम्मत निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपना निर्णय लेने में महाधिवक्ता से संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राय ली है अतः विलम्ब का आरोप उचित नहीं है। मीणा को दोष सिद्धि की तारीख दिनांक 1 मई 2025 से अयोगय घोषित किया है। विधानसभा की सीट रिक्त हो गई है। इसके बाबत नये चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने विधान सभा के विरूद्ध देरी का आरोप लगाया है किन्तु विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्ति किये जाने को न्याय और सत्य की जीत बताया है और इसे कांग्रेस के संविधान बचाओ आन्दोलन की जीत कहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस घटना को सत्य की जीत कहा है और संविधान को सर्वोपरी स्वीकारा है। अध्यक्ष देवनानी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि ''वे नहीं चाहते कि वे ऐसा कोई कार्य करें जो वापिस पलट जावें''। उन्होंने अपनी पीडा अभिव्यक्त करते हुये कहा है कि वे इस मामले में राजनीतिकरण करना निन्दनीय मानते हैं। कंवर लाल मीणा ने तीन साल की सजा के बाद दिनांक 21 मई, 2025 को कोर्ट में सरेन्डर किया। विधानसभा के बुलेटिन के हिसाब से उनकी विधायकी 1 मई 2025 से समाप्त होना माना गया।

जैसे ऊपर कहा है कंवर लाल मीणा को दोष सिद्धि की तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत निरर्हित (अयोग्य क्पेुंसपलि) किया है। उनका कन्वीक्शन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 171(1)(ई) के तहत अपराध (वींमिदबम) कारित करने के कारण हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 घोषित करती है कि यदि किसी व्यक्ति का कन्वीक्शन (दोष सिद्धि) होता है तो उसे विधायिका की सदस्यता से अयोग्य माना जावेगा। यदि उसकी सजा 2 वर्ष से कम की नहीं है और वह अयोग्यता कन्वीक्शन की तारीख से होगी और अयोगयता 6 वर्ष की होगी। अयोग्यता का प्रारम्भ कब से होगा इस बाबत प्रावधान धारा 8 की उपधारा (4) में किया गया है, जिसमें अपील, रिवीजन आदि की प्रकिया का समय शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) में विधायक की अयोग्यता का उल्लेख है, कि वह उस स्थिति में अयोग्य होगा जब इस बाबत संसद के द्वारा बनाये गये अधिनियम (कानून) में इसका प्रावधान हो और ऐसा प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है जो संसद द्वारा पारित किया गया है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विधानसभा की सीट कब रिक्त होती है, इस बाबत संविधान के अनुच्छेद 190(3) में उल्लेख मिलता है।

> **विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कंवरलाल मीणा विधायक को दोष सिद्धि की तारीख से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य होना माना है। उसके विरूद्ध एक फौजदारी केस था, जिसके तथ्य हैं कि मीणा ने 3 फरवरी 2005 को मनोहर थाना (जिला झालावाड़) क्षेत्र में उपचुनाव के समय एसडीएम राम निवास मेहता को पिस्तौल दिखाकर वोटों की पुनः मतगणना कराने के लिये धमकी दी थी और लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 171(ई) का अपराध किया था।**

इस केस में एफआईआर सन 2005 में दायर हुई। सन 2008 में कंवर लाल मीणा को भगोड़ा (।इबवदकमत) घोषित किया। सन 2011 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अकलेरा के मजिस्ट्रेट की अदालत में फौजदारी मुकदमें की ट्रायल के लिये पेश किया। उसी दिन उसकी जमानत कोर्ट ने ली है। सन 2018 में उसे बरी कर दिया पर संदेह का लाभ देकर। कन्वीक्शन के विरूद्ध अपील सेशन्स जज में होती है। अतः एसडीएम मेहता ने जो कम्पलेन्ट कर्ता थे, उन्होंने अपील की और एडीजे ने उनकी अपील स्वीकार कर उन्हें तीन साल की सजा की। 2023 में कन्वीकशन के विरूद्ध निगरानी राजस्थान उच्च न्यायालय में की।

माननीय न्यायालय ने अपने निर्णिय दिनांक 01.015.2025 से एडीजे के निर्णय को तथा तीन साल की सजा को सही ठहराया।

प्रश्न जो लेखक उद्वेलित कर रहा है वह है क्या उपरोक्त परिस्थिति में कन्वीक्शन की तारीख 01.05.2025 मानना उचित है। लेखक का अपना विचार है कि सेशन्स जज व हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी के आदेश को गलत माना है अतः अपील अदालत का कन्वीक्शन का आदेश ही कन्वीक्शन का कारण है। वर्तमान केस में यह स्थिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को पढ़ने से स्पष्ट होती है, जिसमें सजा कब से प्रभावशील होगी इसकी प्रक्रिया दी गई है और स्पष्ट किया गया है कि अयोग्यता इस प्रक्रिया की समाप्ति पर लागू होगी, किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पसल जीवउं टेण न्दपवद व िप्दकपं – व्जीमते ;2013द्ध 10 ैब्ब 1130 में अपने निर्णय दिनांक 10 जुलाई 2013 से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को अवैध घोषित किया है और इस प्रकार उक्त एक्ट 1951 की धारा 8(3) के कन्वीक्ट व्यक्ति को धारा 8(4) का कोई लाभ नहीं मिल सकता। एक अन्य विचार धारा भी पढ़ने को मिलती है, जिसके अनुसार रमा नारंग बनाम रमेश नारंग व अन्य के केस (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अपील अदालत कन्वीक्शन को सीआरपीसी (ब्तण्च्ब) 1973 की धारा 389 अथवा धारा 482 के तहत सजा पर रोक लगा सकती है; किन्तु रविकान्त एस पाटिल बनाम सर्वभैमा एस बागली (2007) के केस में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस शक्ति का प्रयोग तंतमेज व िंतम केसों में ही किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को नवराज सिंह सिद्धु बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2007) में भी समर्थन दिया है। प्रस्तुत केस में उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं पर कोई चर्चा नहीं है अतः किस कानूनी आधार पर कोर्ट्स ने सजा पर स्थगन आदेश दिया नहीं कहा जा सकता।

इसी संबंध में यह भी कहा जा सकता है ये केसेज धारा 8(3) के कंवर लाल मीणा के केस से भिन्न थे। यह भी सच है धारा 8(4) को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, इसका केस पर क्या प्रभाव हुआ है, किसी भी पक्ष ने किसी भी कोर्ट का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। अध्यक्ष विधान सभा ने उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कन्वीकशन की तारीख 01.05.2025 सही मानकर निर्णय दिया है। कंवर लाल मीणा ने अपने कन्वीक्शन को कोर्ट्स में चुनौती दी है; किन्तु अयोग्यता दिनांक 01.05.2025 से लागू होगी। इस विषय पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी।

उपरोक्त मन्थन का सार यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के मुख्य कानूनी प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 191 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) है। उपधारा (4) धारा 8 को लिली थामस के केस (निर्णय दिनांक 10.07.2013) में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। इन दोनों कानूनों के कारण दोष सिद्धि अयोग्यता का कारण बनती है। यदि दोष सिद्धि में दो वर्ष या इससे अधिक कारावास की सजा दी गई है तो अयोग्यता स्वतः हो सकती है। इसे समझने के लिये संविधान के अनुच्छेद 190(3) को पढ़ना होगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि विधान सभा की सीट दोष सिद्धि की तारीख से रिक्त होती है और दोष सिद्धि (ब्वदअपबजपवद) 2020 में हुआ।

सत्यमेव जयते!
-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश,
राजस्थान हाई कोर्ट

महाराणा प्रताप: एक बहुआयामी व्यक्तित्व

शिवशंकर शर्मा

मुगलिया सल्तनत जिस व्यक्ति को जीतने की कोशिश करती रही और आजादी के बाद बनें मार्क्स – मैकाले के मुग़ल प्रेमी गठजोड़ उस व्यक्ति को भूलाने, नई पीढ़ी को एक पराजित राजा और केवल अपनी सत्ता के लिए लड़ने वाला युद्ध प्रिय इंसान बताने के षडयंत्र रचता रहा पर पांच शताब्दियों के बाद भी जिसका नाम सुनकर शिराओं में शोणित उबाल मारने लगता है। ऐसे महान प्रतापी, स्वातंत्र्य प्रिय और धर्म ध्वजा के वाहक के बारे में अब्दुल रहीम खानखाना जिसे हम रहीम खान के नाम से या रहीम जी के नाम से जानते हैं लिखते है–

''धर्म रहसी, रहसी धरा खिस जासे खुरसाण।
अमर विशंभर ऊपरे राख नइचो राण।।''

अर्थ :- मैं नहीं जानता धर्म धरा और यह मुग़ल कब तक रहेंगे पर मैं जानता हूं तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा।

यह व्यक्ति कोई और नहीं हिंदुवा सूरज महाराणा प्रताप ही थे। विक्रम संवत् 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया (9 मई 1540 इस वर्ष 29 मई) को राणा उदय सिंह के घर जन्मे प्रताप, उस सूर्यवंश की 210 वीं पीढ़ी में थे जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 64वीं पीढ़ी में जन्मे थे और इन्हीं के वंश की आगामी पीढ़ी में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। 28 फरवरी 1572 को जब राणा उदय सिंह जी का निधन हुआ तो राज परिवार ने धीर कंवर के पुत्र जगमाल सिंह को राणा घोषित करने का निर्णय किया परंतु गोगुंदा में जब राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो जनता ने राजतंत्र में लोकतंत्र की हुंकार भरते हुए प्रताप सिंह को महाराणा घोषित कर दिया। यह ठीक वैसे ही था जैसे उनकी 146 पीढ़ी पहले महाराज दशरथ द्वारा राजकुमार भरत को राजगद्दी सौपने और युवराज श्री राम को वन गमन की आज्ञा देने पर जनता श्री राम के साथ वन गमन की तैयारी करने लगी थी राज आज्ञा का उल्लंघन करके। उस समय भगवान श्री राम ने युग धर्म का पालन कर वन गमन किया तो महाराणा प्रताप ने अपने युग धर्म का पालन करते हुए कांटों भरा ताज अपने सिर पर रख लिया।

यह वह समय था जब 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था पर मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जब एकलिंग दीवान के रूप में राणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली थी उसी वक्त अकबर की सेना गुजरात का अपना अभियान पूरा कर आगरा की ओर लौट रही थी तो मेवाड़ की सेना ने उसे रोककर दंड वसूल लिया। बादशाह अकबर एक ओर सभी जगह युद्ध जीत रहा था तो ठीक उसकी नाक के नीचे मेवाड़ अभी भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था।

राणा का रणनीतिक कौशल :- महाराणा प्रताप यह जानते थे कि एक सामूहिक सेना बनाकर हम मुगलों से उनकी ही मनमाफिक जगह पर लड़कर नहीं जीत सकते। क्योंकि मुगलों के पास संसाधन थे तो सेना भी। उन्होंने अपने पिता की रणनीतिक का अनुसरण किया, जिनका मानना था कि युद्ध स्थल होगी उनकी अपनी पहाड़ियां, महलों या किलो में बैठकर शत्रु का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पहाड़ियों, दर्रो और जंगलों में शत्रु को शिकार बनाएंगे। रण क्षेत्र का यह बदलाव भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड है, इसे बाद में शिवाजी महाराज ने भी अपनाया था। महाराणा प्रताप जहां मेवाड़ में आजादी का धर्म ध्वज थामें थे तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे बांसवाड़ा के राजा प्रताप सिंह, डूंगरपुर के रावल आसकरण, मारवाड़ में महाराजा चंद्रसेन सिरोही के राव सुरताण ईडर के राजा नारायणदास, जालौर में ताज खान। यह बदली हुई युद्ध नीति थी। अलग-अलग पर सामूहिक प्रयत्न यही कारण है कि मुगल सेना मेवाड़ में आती तो मारवाड़ में महाराजा चंद्रसेन उठ खड़े होते, मुगल टुकड़ी मारवाड़ की ओर आती तो सिरोही में राव सुरताण अपना कौशल दिखा देते।

हल्दीघाटी हारे नहीं जीते थे महाराणा प्रताप :- जून 1576 में हुआ हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना जीती थी परंतु मार्क्स और मैकाले के मानस पुत्रों के द्वारा मुगल प्रेम ने कभी मेवाड़ को पराजित तो कभी युद्ध को अनिर्णित बताकर मेवाड़ के गौरव के बहाने हिंदू समाज के विजय गौरव को कम करने की कोशिश की गई। परंतु अकबर का दरबारी लेखक था अब्दुल कादिर बदायूंनी। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुगलों की 5000 की सेना पर 3000 की मेवाड़ की सेना का गोगुंदा के उस तंग दर्रे में शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास-पास 8 मील तक भागने पर मजबूर हो गई थी। वह आगे लिखता है कि युद्ध के बाद हम गोगुंदा पहुंचे तो हमें इतना डर था कि रुकने की जगह पर बड़ी दीवार बनाकर रुके ताकि रात को हमला नहीं हो जाए। इसके बाद वो लिखता है कि हम गोगुंदा से अजमेर की ओर आ रहे थे तो एक ओर तो जून महीने की तपती दुपहरी थी तो दूसरी ओर गांव-गांव में हमें लूटा जा रहा था। वही आगे लिखता है कि जब अकबर के दरबार में राजा मानसिंह और आसद खान पहुंचे तो बादशाह ने गुस्से में उन्हें दरबार में आना बंद करवा दिया। यह सब कुछ बदायूनी ने लिखा है, जो अकबर के दरबार में था। बताइये, युद्ध से भागता कौन है? लूटता कौन है? डरता कौन है? और युद्ध जीतकर आते अपने सेनापति से नाराज कौन होता है? इसके उत्तर आपके समझ में आ गए तो आप जान जाएंगे कि हल्दीघाटी का युद्ध ना मेवाड़ की सेना हारी ना अनिर्णीत निर्णय रहा बल्कि महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ की सेना जीती थी। हल्दीघाटी के युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप थे, अगर वे नहीं होते तो जून 1576 के तत्काल बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद मेवाड़ आने पर क्यों मजबूर हो जाता है ? वहीं 1576 के बाद के संथाना, मंडेरवाला, ओडा गांव में मिले ताम्रपत्र प्रताप की विजय गाथा कहते हैं, जिनमें यहां की भूमि दान में देने का उल्लेख है। अगर इन क्षेत्रों में महाराणा प्रताप का आधिपत्य नहीं होता तो यह दान में राणा कैसे भूमि दे सकते थे?

अकबर के मन में इतना भय व्याप्त हो गया कि किसी कवि ने लिखा है :-

माई एड़ा पूत जण, जेड़ा राणा प्रताप।
अकबर सुत्यो ओझके, जाण सिराने सांप।।

1585 के बाद के 12 वर्ष तक, जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे मुगल हिम्मत नहीं जुटा सके, कि वे मेवाड़ की ओर मुँह भी करें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर उत्तर, पश्चिम में व्यस्त हो गया था तो महाराणा प्रताप के निधन के तुरंत बाद कैसे मेवाड़ की ओर आ धमका?

सामाजिक समरसता और स्वातंत्र्य क्रांति के पुरोधा :- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर धर्म युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप का सामाजिक समरसता और लोक संग्रह का व्यवहार ही था कि भील समाज के रणबांकुरे पूंजा सोलंकी के नेतृत्व में महाराणा की सेना में आ मिलते हैं। हाकिम खान सूर मुगल सेना से दो-दो हाथ करते दिखते है, बूंदी के राजा सूरजन के पुत्र दूदा हो या सहसमल, ग्वालियर के राजा राम सहाय तोमर अपने पुत्रों शालीवाहन, प्रताप सिंह और भवानी सिंह के साथ युद्ध भूमि में जय एकलिंग का समवेत जय नाद करते दिखे। उनका कितना करिश्माई व्यक्तित्व होगा कि जब युद्ध काल में महाराणा प्रताप अपनी राजधानी को छोड़ कभी चावंड, कभी मदारिया, कभी कोलियरी, कभी गोगुंदा रहते हैं तो लोग कहते हैं रानूं जी कहै बठे उदयपुर अर्थात जहां राणा जी वही राजधानी, यह जनता का अपने राजा से एकाकार होना है।

इसी प्रकार का एक उदाहरण है जनजातीय समाज का एक वर्ग जो लोहार का काम करता है। पूरा समाज व्रत ले लेता है, जब तक मातृभूमि आजाद नहीं तब तक पक्के मकान नहीं और यह व्रत वे आजादी के बाद तक निभाते है। उनसे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वयं आग्रह करते हैं कि हम आजाद हो गए। उनका जीवन कितना तेजस्वी रहा होगा कि भारत में कई युद्ध हुए पानीपत में 3 तराईन में 3 पर हल्दीघाटी के दर्शन करने का सपना हर भारतीय आज भी रखता है। 18 जून 1576 के वह तीन घंटे जब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था ऐसा कुछ तो विशेष हुआ कि यह माटी चंदन बन गई।

आजादी का आंदोलन और महाराणा प्रताप :- महाराणा प्रताप केवल जीवित रहते हुए मुगलों से ही लड़े ऐसा नहीं है, वे अपने जीवन के बाद भी आजादी की लौ बनकर भारतीयों को प्रेरित करते रहे। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की वीर गाथा को जब लिखकर दुनिया के सामने रखा तो सबसे पहले कोलकाता में ही। यह पुस्तक पहुंची थी।यही गुलाम भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महाराणा की गाथा को पढ़कर बंगाली साहित्यकारों ने अनेक पुस्तकें लिखी, आजादी की चाहत की जल रही मशाल को इन बलिदानी गाथाओं ने धधका दिया। आज भी बंगाल में अनेक पुस्तकालय में महाराणा प्रताप की गौरव गाथा बंगाली भाषा में ही मिल जाएगी। 1895 में लोकमान्य तिलक जब शिवाजी महोत्सव शुरू करते हैं तो शिवाजी के साथ महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाई जाती है। उस समय गुंजा जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की का यह नाद भारत की एकात्मता का जय गान बन गया। 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी अखबार प्रकाशित करते हैं तो उन्हें नाम भी याद रहता है 'प्रताप'। 1915 में उड़ीसा के बालासोर में वाधा जतिन नाम का क्रांतिकारी अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण करता है तब काजी नज़रुल इस्लाम इसे नई हल्दीघाटी कहकर संबोधित करते हैं।

–शिव शंकर शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार

आतंकवाद और उग्रवाद : पूंजीवादी साम्राज्यवाद की अनिवार्य उपज

रामनिवास बैरवा

जनता हमेशा ही शान्ति प्रिय होती है और सेनाएं भी युद्ध नहीं चाहती। वहीं सरकारें अपने मूल चरित्र में हिंसक होती हैं। पुलिस आमतौर पर सरकार की संगठित हिंसा का चेहरा होती है। विरासत में प्राप्त सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा और तद्नुरूप बनाये गये कानून पुलिस को हिंसक बना देते है, सामाजिक भावना-विहीन, मानवीय भावना-विहीन बना देती है। परिणामस्वरूप पुलिस प्रत्येक नागरिक को एक अपराधी मानती है और कुछ नहीं तो किसी भी नागरिक के द्वारा अपनी बात कहने को भी 'शान्तिभंग' तथा 'राजकार्य में व्यवधान' बताकर अपने चरित्र का परिचय देती है।

दूसरी तरफ सत्ता तक पहुंचने की लालसा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अन्तर्द्वंद्व इतने उग्र हो जाते हैं कि राजनीतिक हिंसा उनके लिए एक प्रकार से सामान्य जैसी होती है। जब सरकारी हिंसा और राजनीतिक हिंसा मिल जाती हैं, एकाकार हो जाती है तब उसका प्रदर्शन, आन्तरिक रूप से, दूसरे गुटों-वर्गों का दमन करना होता है। लेकिन, जब आन्तरिक दमन अपेक्षित परिणाम नहीं देते हैं तब पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को लेकर युद्ध किये जाते हैं। ऐसे युद्धों में सेनाओं के अधिकारीगण अपनी तरक्की, अपनी पदोन्नतियों तथा सम्मानों के अवसर देखते हैं। इस तरह के युद्ध हालांकि लम्बी अवधि के नहीं होते हैं, लेकिन उन युद्धों के आर्थिक दुष्प्रभाव जनता को लम्बे समय तक भुगतने पड़ते हैं। पिछली कई शताब्दियों से दो देशों के बीच युद्ध होते रहे है जिनका अन्तिम परिणाम विजेता देश की सीमाओं में पराजित देश का पूरा या आंशिक विलय कर दिया जाना सम्भव होता था। परन्तु, पहले विश्व युद्ध, के बाद जो कि लगभग पांच वर्ष तक चला था-विजेता देशों की सीमाओं में पराजित देशों का पूरा या आंशिक विलय नहीं किया गया बल्कि विशाल देश साम्राज्यों से कई छोटे-छोटे देश अस्तित्व में आये जिनकी कि अपनी-अपनी स्वतन्त्र राष्ट्रीयताओं की प्रतिनिधि व्यवस्था अस्तित्व में आयी। भारत भी उनमें से एक है, जिसका विघटन ही हुआ है।

दूसरे विश्व युद्ध में पूंजीवादी उग्र राष्ट्रवादी देशों की पराजय ने राष्ट्रों को दो खेमों में बांट दिया-पूंजीवादी-साम्राज्यवादी खेमा और कम्यूनिस्ट विचारधारा का समाजवादी खेमा। पूंजीवाद के समानान्तर अपराध-जगत भी पनपता है, जो कि गैरकानूनी व्यापार तथा नशीले पदार्थों और हथियारों के व्यापार में संलग्न रहते हैं। कई बार पूंजीवाद के समानान्तर चलने वाले ये अपराध खुद पूंजीवाद को आर्थिक मंदी जैसे संकटों से उबारने में भी सहायता करते है, जैसे 2008 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में किया गया था। इस प्रकार के अपराध के केंद्र दक्षिणी अमरीकी देश, अफगानिस्तान, अफ्रीकी देश दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश हैं। अतः इन देशों में सत्ताधारी वर्गों के अन्तर्विरोध चरम पर रहते है तथा अमरीका जैसे देश उन देशों की सरकारों को अस्थिर करते रहते है तथा सेनाओं के उच्च अधिकारियों को रिश्वतें देकर उनका समर्थन प्राप्त करते रहे हैं।

पाकिस्तान और भारत के आपसी टकराव भी इसी पृष्ठभूमि में किए जाते रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजों से विरासत में मिले हिन्दू-मुसलमानों के धार्मिक वैमनश्य का रूप देकर स्थानीय रूप दिया गया है। तथाकथित शीत युद्ध की समाप्ति तथा अफगानिस्तान के नशीलें पदार्थों के व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए अमरीका वहाँ तालिबान जैसे कट्टर मुस्लिम संगठन को खड़ा किया, साथ ही मुस्लिम कट्टरता के समानान्तर संगठन को पाकिस्तान में खड़ा किया जिससे कि अफगानिस्तान से नशीली दवाओं का व्यापार भारत में भी फैले। इससे पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भारी भरकम रिश्वतें दी जा रही है जिससे पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारों पर सेना का नियन्त्रण रहता आया है, काफी लम्बे समय तक सेना ने ही वहाँ पर शासन किया है- अय्यूब खां, याहयां खां, जिया उर्रहमान, मुशर्रफ आदि। अभी अमीर मुनीर का सेनाओं के प्रमुख के रूप में पाकिस्तान की सरकार पर नियन्त्रण तो है ही सरकार अपने हाथों में लेने की फिराक में है। अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं पाकिस्तान में अशान्ति बनाये रखना और जनता को धार्मिक आधार पर उकसा कर भारत के विरूद्ध छापामार हमलों जैसी कार्रवाइयां की जा रही है। जाहिर है, सक्रिय युद्ध काल नहीं होने की स्थिति में छापामार युद्ध प्रणाली को भारत के अंदरूनी भागों में अपने प्रशिक्षित लोगों को भेजकर उग्र या आतंक की कार्रवाइयां करते रहे है। इसे आतंकवाद का राजनीतिक नाम दिया गया है, इस प्रकार से आतंकवाद की अलग-अलग देशों की अपनी-अपनी परिभाषाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की अलग परिभाषा होने के कारण भारत में आ रहे आतंकवादी आतंकवादी नहीं कहे जाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की यह परिभाषा संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन यह भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि ये कथित आतंकवादी नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी में लगे लोगों को भारत में आने के लिए कवर-आवरण का काम करते हैं। इस प्रकार, आतंकवादी प्रत्यक्ष सामने होते हैं जबकि नशीली दवाओं और हथियारों के तस्कर अप्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रवेश करते हैं।

यह भी एक तथ्य है कि कई देशों में अफीम मारीजुआना जैसी नशीली फसले काफी तादाद में पैदा होती हैं वहीं उन देशों में और अन्य अविकसित देशों में भू-गर्भीय खनिज बहुतायात में जमा हैं औा विकसित पूंजीवादी देश यह नहीं चाहते कि वे देश उनका उत्खनन करके पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों की उत्पादन की एकाधिकार की स्थिति के लिए समस्या बनें, इसलिए भी अविकसित देशों में विद्रोह की स्थिति बनाये रखी जाती है ताकि समय आने पर उन खनिजों को अपने अधिकार में लिया जा सके। अरब देशों के तेल भंडार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो पेट्रो-डॉलर में 50 वर्ष पहले ही बदला, जो की अमरीका की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे चुका है। अभी युक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ भी नहीं, अमरीका ने नाटो से सुरक्षा दिलाने के नाम पर युक्रेन के खनिजों को अपने अधिकार में लेने का समझौता करके रूस-युक्रेन युद्ध में मध्यस्थ बनने की कोशिश में है। भारत में भी भरपूर खनिज भंडार हैं जिनके लिए यहां की सरकारों को छुट-पुट उग्र-राष्ट्रवाद और आतंकवाद में उलझा कर भारत के विकास को प्रभावित बनाये रखा गया है।

यह तो साफ है कि तस्करी किसी भी देश की सामान्य अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है जिसका प्रभाव बड़े पूंजीपतियों पर नहीं हो कर सामान्य नागरिकों पर ही होता है। और सामान्य नागरिकों, जो कि स्वभाव से ही शान्तिप्रिय होते हैं, की सामान्य गतिविधियों अगर कोई या भी व्यवधान या आतंकित किये जाने की घटना होती है तो वह सामान्य नागरिकों के सामान्य-सुचारू जीवन-चर्या में व्यवधान पैदा करती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर होता है।

-रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राशिफल शुक्रवार 30 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 9:29 तक, गंड योग दिन 12:56 तक, वणिज करण दिन 10:20 तक, चन्द्रमा दिन 3:42 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग रात्रि 9:29 तक है। कुमार योग रात्रि 9:23 से रात्रि 9:29 तक रहेगा। आज भद्रा दिन 10:20 से रात्रि 9:23 तक रहेगी। आज विनायक चतुर्थी, उमा चतुर्थी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:42 तक, शुभ 12:24 से 2:06 तक, चर 5:29 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:11

मेष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह अटके हुए व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

मकर
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।